भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 327

मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में उद्योग

327. श्री सुधाकर सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न औद्योगिक प्रोत्साहन और विनिर्माण संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत बिहार में कितनी औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से वर्ष-वार और क्षेत्र-वार कितनी इकाइयों ने स्थापना के बाद उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख संरचनात्मक बाधाओं जैसे कि औद्योगिक अवसंरचना का अभाव, वित्तीय संस्थानों से ऋण की सीमित उपलब्धता तथा संभार तंत्र एवं परिवहन चुनौतियों का समग्र मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में रोजगार सृजन बढ़ाने और क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन को कम करने के लिए श्रम-प्रधान उद्योगों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के क्लस्टर और कृषि-आधारित मूल्य-वर्धित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): औद्योगिक क्षेत्र के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय करते हैं। केंद्र सरकार, बिहार सहित देशभर में उद्योगों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए, विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के प्रयासों को पूरक रूप में सहयोग प्रदान करती है। इन पहलों में निवेश संवर्धन स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) तथा

अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से की गई पहलें, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोरों के अंतर्गत एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी), स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) आदि शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए विशेष रूप से संचालित कुछ प्रमुख पहलों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, एमएसएमई कार्यनिष्पादन को बढ़ावा देना एवं गति प्रदान करना तथा आत्मनिर्भर भारत निधि आदि शामिल हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध लाभ, संबंधित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर, देशभर के सभी पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए उपलब्ध हैं।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (बीआईआईपीपी) 2024-27 के अंतर्गत, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकार के समन्वय से किया जा रहा है, पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2026-27) के दौरान कुल 932 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को प्रथम चरण (स्टेज-I) की मंजूरी प्रदान की गई है, जिनमें लगभग 48,160.80 करोड़ रुपए के संचयी प्रस्तावित निवेश का प्रावधान है। चरण-I की मंजूरियों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	**कार्यान्वयन का चरण**	**वित्त वर्ष 2024-25**	**वित्त वर्ष 2025-26**	**वित्त वर्ष 2026-27**
1	चरण-I की मंजूरी प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	416	322	194
2	चरण-I की मंजूरी प्राप्त प्रस्तावों में प्रस्तावित निवेश की राशि (करोड़ रुपए में)	34,455.14	7,515.98	6,189.68

उपर्युक्त प्रस्तावों में से 442 इकाइयां संस्थापित की जा चुकी हैं तथा उन्होंने कार्यरत इकाइयों के रूप में उत्पादन/वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। इन कार्यरत इकाइयों में 5,890.10 करोड़ रुपए का संचयी निवेश किया गया है। कार्यरत इकाइयों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	कार्यान्वयन का चरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2026-27
1	कार्यरत इकाइयों की संख्या (संस्थापित एवं उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयां)	237	166	39
2	कार्यरत इकाइयों में कुल निवेश की राशि (करोड़ रुपए में)	3,523.08	1,641.02	726.00

स्थापित हो चुकी एवं उत्पादन शुरू कर चुकी (कार्यरत) इकाइयों का क्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार विवरण **"अनुबंध-क"** में दिया गया है।

(ग) और (घ): सरकार की विभिन्न पहलों के अंतर्गत आवश्यकता-आधारित आकलन किए जाते हैं। ऐसे आकलन संबंधित स्कीम अथवा पहल की क्षेत्रगत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफ़रेंट स्टेट्स (लीड्स) रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) मूल्यांकन फ्रेमवर्क का उद्देश्य बिहार राज्य सहित राज्यों को सुधार करने, अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और अन्य ऐसी पहलों के लिए प्रोत्साहित करना है, जिनका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक ईकोसिस्टम और व्यापार करने के माहौल में सुधार करना है।

ये आकलन दर्शाते हैं कि न केवल विभिन्न मापदंडों में प्रगति हुई है, बल्कि सतत औद्योगिक विकास को सहायता प्रदान करने के लिए मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, औद्योगिक अवसंरचना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश सुविधा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, केंद्र सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं जो बिहार को लाभान्वित करती हैं, जिनमें एकीकृत अवसंरचना आयोजना के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें शामिल हैं।

श्रम-गहन उद्योगों, एमएसएमई और कृषि आधारित मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (पीएमएफएमई) स्कीम, सूक्ष्म

और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), एमएसएमई कार्य निष्पादन को बढ़ाना और गति देना (आरएएमपी), आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड, पीएम किसान संपदा योजना और राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम जैसी स्कीमों को लागू करती है।

ये कार्यकलाप बिहार सहित पूरे देश में उद्यम निर्माण, क्लस्टर विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, ऋण तक पहुंच, मूल्य संवर्धन, बाजार संपर्क और रोजगार सृजन को सुगम बनाते हैं।

अनुबंध-क

दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 327 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	क्षेत्र	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26		वित्त वर्ष 2026-27		कुल (वित्त वर्ष 2024-27)	
		इकाइयां	लागत (करोड़ रुपए)	इकाइयां	लागत (करोड़ रुपए)	इकाइयां	लागत (करोड़ रुपए)	इकाइयां	लागत (करोड़ रुपए)
1	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र	127	2,100.57	83	837.16	21	626.98	231	3,564.71
2	सामान्य विनिर्माण	50	862.38	35	256.14	5	22.97	90	1,141.49
3	हेल्थकेयर क्षेत्र	8	233.30	8	84.87	1	8.85	17	327.02
4	लॉजिस्टिक्स क्षेत्र	1	37.35	0	0.00	0	0.00	1	37.35
5	प्लास्टिक और रबड़	26	102.91	17	288.80	3	12.17	46	403.88
6	नवीकरणीय ऊर्जा	1	2.08	6	27.44	6	33.93	13	63.45
7	छोटी मशीन विनिर्माण	3	13.71	4	15.60	0	0.00	7	29.31
8	वस्त्र और चमड़ा क्षेत्र	11	73.14	7	99.29	1	0.34	19	172.77
9	पर्यटन	6	83.85	1	6.05	0	0.00	7	89.90
10	लकड़ी आधारित उद्योग	4	13.79	5	25.67	2	20.76	11	60.22
	कुल	**237**	**3,523.08**	**166**	**1,641.02**	**39**	**726.00**	**442**	**5,890.10**
